फर्द–अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुकाम नागौर

प्रार्थी

एस.एम.एफ.जी. इंडिया होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड (पूर्व नाम फुलर्टन इंडिया होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड) पंजीकृत कार्यालय–थर्ड फ्लोर, नम्बर 307, मेघ टॉवर, पी.एच. रोड मधुरावोयल, चेन्नई (तमिलनाडू) कॉर्पोरेट कार्यालय 5 व 6, बी विंग सुप्रीम बिजनेस पार्क सुप्रीम सिटी, पोवई, मुबंई– 400076, शाखा कार्यालय केसर मॉल, फर्स्ट फ्लोर, प्लॉट नं. 115–ए, अपैक्स मॉल के सामने, बापू नगर, टोंक रोड जयपुर 302015 जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री जावेद अहमद खान।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. महेन्द्र खदाव पुत्र डूडाराम जाट
2. अन्जु देवी

निवासीगण– प्रथम पता– लूनियास, पोस्ट बडगांव खदावों का बास, लूनियास, नागौर–341510 (राजस्थान) द्वितीय पता– पट्टा नम्बर 8 ग्राम लूनियास, पोस्ट बडगांव लूनियास, ग्राम पंचायत बडगांव, पंचायत समिति मेड़ता सिटी, जिला नागौर– 341510

किस्म मुकदमा –सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002, प्रार्थना पत्र संख्या 252 **सन् 2024**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
23.12.2024	प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत बंधक संम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु पुलिस सहायता उपलब्ध करवाने बाबत प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो । पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में धारा 13(2) का नोटिस गैर सायलान को जारी कर जरिऐ रजिस्टर्ड डाक दिनांक 11.05.2024 को गैर सायलान को भेजा गया हैं,जिनकी रजिस्ट्री रसीदे संलग्न पत्रावली हैं। गैर सायलान को भेजी गई रजिस्टर्ड डाक की ट्रेक रिपोर्ट पत्रावली के संलग्न हैं,जिसके अवलोकन से गैर सायलान को नोटिस तामिल नहीं हुवे हैं पुनः रजिस्टर्ड डाके प्रार्थी को प्राप्त हुई हैं। अप्रार्थी की तामिले अगर जरिऐ डाक से नहीं हो रही हैं,तो दो सामाचार पत्रों में नोटिस का प्रकाशन करवाया जाना होता हैं,जो करवाया जाकर पत्रावली में पेश नहीं किया गया हैं। इस प्रकार पत्रावली के अवलोकन से धारा 13(2) के नोटिस की विधिवत् तामिल गैर सायलान को करवाये जाने का अभाव पाया गया हैं। इसलिए गैर सायलान के नोटिस तामिलों के अभाव के कारण इस पत्रावली में अग्रीम कार्यवाही किया जाना विधि विरूद्व हैं तथा प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (अरूण कुमार पुरोहित) **जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट,** **नागौर**	